संख्या: 265/2015/2058/35-4-2015

प्रेषक,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक 27 अगस्त,2015**

विषय- **वित्तीय वर्ष 2015-16 में छठी आर्थिक गणना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 625/ले0-28/2010, दिनांक 29.07.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा छठी आर्थिक गणना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में स्वीकृत/नवीनीकृत कुल धनराशि रू0 33,01,92,545/- के सापेक्ष अवशेष बची धनराशि रू0 14,46,25,071/- मे से रू0 11,51,00,000/- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- प्रश्नगत योजना के क्रियान्यन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में अवशेष बची धनराशि रू0 14,46,25,071/- को भारत सरकार के पत्र संख्या: N-11015/7-2/2014/ESD-VIEC, दिनाक 16.06.2015 द्वारा वर्ष् 2015-16 के लिए नवीनीकृत कर दिया गया है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि छठी आर्थिक गणना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष् 2014-15 में अवशेष बची उक्त धनराशि के सापेक्ष रू0 11,51,00,000/- (रू0 ग्यारह करोड़ इक्यावन लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित मदों के अनुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्रम संख्या	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि (रूपये में)**
1	07-मानदेय	10,00,00,000/-
2	11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	50,00,000/-
3	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,00,00,000/-
4	47-कम्प्यूटर अनु0/स्टेशनरी का क्रय	1,00,000/-
	योग	**11,51,00,000/-**

(रू0 ग्यारह करोड़ इक्यावन लाख मात्र)

4- यह स्वीकृति वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गई है, जिसका कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

5- स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित मद के समक्ष अंकित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) अन्य किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। अत: व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन/अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पूर्व प्रत्येक दशा में शासन/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6- स्वीकृत धनराशि का आहरण संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा तथा आहरित धनराशि को पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।

7- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

9- इस संबंध में होनेवाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक "3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-छठी आर्थिक गणना का क्रियान्वयन (के./रा. के. 100 प्रतिशत) के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 के प्रस्तर-2(14)(क) में उल्लिखित आदेशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव।

संख्या: 265/2015/2058(1)/35-4-2015-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्य निष्ठा भवन, 15 थर्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. निदेशक (ईएसडी), भारत सरकार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रांलय, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, 25 के0जी0मार्ग, नई दिल्ली-110001
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
7. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
8. नियोजन अनुभाग-1
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।